नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/09/2017।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी चौब सिंह सहित श्री राजेश शर्मा अधि.। फरियादी/आवेदक श्रीराम बघेल सहित श्री जगजीवन राम अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

फरियादी / आवेदक श्रीराम पुत्र करन सिंह बघेल, निवासी :— ग्राम चिराई भौनपुरा, परगना—गोहद, जिला—भिण्ड ने उसके अधिवक्ता श्री जगजीवन राम के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमित संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत श्रीराम अभियोजित अपराध की धारा 379 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री जगजीवन राम अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उनके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में चोरी गई तीन भैंसे एवं दो पड़ियाँ दिनांक : 08/07/2015 को आरोपी चौब से बरामद कर फरियादी श्रीराम को विवेचना के दौरान अभियोग पत्र प्रस्तुति से पूर्व दिनांक : 08/07/2015 को ही पुलिस द्व ारा सुपुर्दगी पर प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

- 01. राजीव कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
- 02. रविरमन बाजपेई अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड